

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
कार्यालय, समन्वयक, प्री डी.एल.एड. परीक्षा, एवं पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान,
बीकानेर

वैबसाइट विज्ञापन संख्या: 13/2023 दिनांक 08.04.2024

—अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना—

प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2023 के परिणाम उपरान्त दिनांक: 15.03.2024 तक अपवर्ड मूवमेण्ट की सहमति प्रस्तुत करने के बाद दिनांक: 19.03.2024 को अपवर्ड मूवमेण्ट का आवण्टन एवं संस्था आवण्टन का द्वितीय चरण अधिकृत वैबसाइट (<https://panjiyakpredled.in>) पर जारी किया गया था। दिनांक 27.03.2024 तक रिपोर्टिंग प्रक्रिया जारी करने के उपरान्त दिनांक 08.04.2024 को संस्था आवण्टन का तृतीय चरण अधिकृत वैबसाइट (<https://panjiyakpredled.in>) पर जारी किया जाता है। संस्था आवण्टन की सूचना अभ्यर्थियों के लॉगिन एवं पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर भी प्रेषित की जा रही है। अभ्यर्थी अपने स्वयं के लॉगिन से संस्था/संस्थान आवण्टन पत्र प्राप्त कर सकेंगे तथा ऑनलाइन संस्था/संस्थान रिपोर्टिंग का चरणवार कार्यक्रम निम्नानुसार है—

काउन्सलिंग के चरण	दिनांक/अवधि
शुल्क राशि रु. 13555/— का भुगतान ई-मित्र, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा किया जाना।	दिनांक 08.04.2024 से 15.04.2024 तक
अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन के जरिये आवण्टित अध्यापक शिक्षा संस्था/संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना।	दिनांक 08.04.2024 से 16.04.2024 तक
अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवण्टित अध्यापक शिक्षा संस्था/संस्थान में रिपोर्टिंग करना।	दिनांक 08.04.2024 से 16.04.2024 तक
संस्था/संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्राध्यापकों के दस्तावेजों एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना।	दिनांक 08.04.2024 से 16.04.2024 तक
संस्था द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप (Provisional Admission Slip) प्राप्त करना।	दिनांक 08.04.2024 से 16.04.2024 तक

नोट:—

- अपवर्ड मूवमेण्ट अभ्यर्थियों का शुल्क पूर्व में जमा हो चुका है। अतः इन्हे नवीन आवण्टित संस्था में पुनः किसी भी प्रकार का कोई शुल्क जमा नहीं करवाना है। अपवर्ड मूवमेण्ट से नवीन संस्था आवण्टित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का नवीन संस्था द्वारा पुनः प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- वैबसाइट विज्ञापन संख्या 11 (दिनांक: 19.03.2024) के अनुसार जिन परीक्षार्थियों को अपवर्ड मूवमेंट में नवीन संस्था आवण्टित हुई थी, उन्हें उक्त काउन्सलिंग कैलेण्डर के अनुसार नवीन आवण्टित संस्थान में रिपोर्ट करना अनिवार्य था। वे अभ्यर्थी जिन्हें अपवर्ड मूवमेंट से दिनांक 19.03.2024 को नवीन संस्था में सीट आवण्टित हुई थी तथा अंतिम दिनांक तक वे नवीन संस्था (अपवर्ड के बाद वाली संस्था) में रिपोर्ट नहीं कर पाये, उन्हें रिपोर्टिंग का एक अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 16.04.2024 तक रिपोर्टिंग हेतु एक अवसर प्रदान किया जा रहा है।
- गीताजंली शिक्षण संस्थान, बोरावड़, नागौर तथा आर.के.टी.टी कॉलेज, बोरावड़, नागौर में आगामी चरण का सीट आवण्टन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या क्रमशः 1161/2024 तथा 97/2024 के निर्णयाधीन रहेगा।

RajKaj Ref
6545392



Signature valid

Digitally signed by Bajrang Lal
Designation: Deputy Director
Date: 2024.04.08 12:34:16 IST
Reason: Approved